

प्रेम्क,

श्री आशोक मांगुली,
संयुक्त राज्य,
उत्तर प्रदेश भारत ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा ब्लॉक 2 कक्षाय ब्लॉक,
प्रोति विहार नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक 19 अगस्त, 1997

विषय:- न्यू हरा इंजिन स्कालेमी मिशन कमाउण्ड तडारनपुर को सी०बी०स्त०ई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनाप रित प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि न्यू हरा इंजिन स्कालेमी मिशन कमाउण्ड तडारनपुर को सी०बी०स्त०ई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनाप रित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अधीन अनाप रित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत तोलायती का तम्ब तम्ब पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की पुस्तक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोतिल फर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वाइवलेन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था के शिक्षक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें तक्षायता प्राप्त ज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगी ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/संज्ञिकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि 111 शिक्षकों तथा कर्मचारियों को वेतन मानकानुसंग बैंक से दिया जा रहा है ।
- 121 समस्त कर्मचारियों हेतु ईपीओएफ योजना लागू करके ज्ञातन को ज्वलत कराया जायेगा ।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है जवना पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाधरित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गंगुली
संयुक्त सचिव ।

पुंरत 2217 111/15-7-1997 त्दतिनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक, जगित भारतीय विद्यालय 3090 लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, न्यू डरा जगित सकाडेमी शिक्षा कन्याउण्ड लखनऊ ।

जाता है,

अशोक गंगुली
संयुक्त सचिव ।